न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं06, अलीगढ़।

जमानत आवेदन संख्या 4229/2019

1. आमिर खॉ बनाम राज्य
2. अकील उर्फ टिल्लू

अपराध संख्या 121/2019
धारा 379, 411 भा0द0सं0
थाना चण्डौस, जिला अलीगढ।

<u>जमानत आदेश दिनांकित 30.09.2019</u>

अभियुक्त/आवेदकगण आमिर पुत्र अब्दुल सलाम व अकील उर्फ टिल्लू पुत्र हमीद खॉ, निवासीगण नई बस्ती चण्डौस, थाना चण्डौस, जिला अलीगढ की ओर से प्रथम जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 121/2019 धारा 379, 411 भा0द0सं0 थाना चण्डौस, जनपद अलीगढ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया।

अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा शाहिद खॉ के पास एक भैंस व उसका बच्चा था। वादी दिनांक 02.09.2019 को अपनी घेर में रात में सोया था रात में करीब दो बजे बच्चा चिल्लाने की आवाज आयी तो वादी ने आंख खोलकर देखा कि वादी की भैस खूंटे पर नहीं है। जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गये। वादी ने अपनी भैस को अब तक बहुत तलाशा किन्तु नहीं मिली। लोगों से जानकारी की तो कुछ लोगो ने बताया कि घटना से एक दिन पहले कुछ लोग जो चण्डौस में कुकेसी समाज के लोग घूमते हुये देखे थे जब वादी को उसकी भैस नहीं मिली तो अपनी रिपोर्ट लिखाई। दिनांक 23.09.2019 को पुलिस के चैकिंग के दौरान गाडी चैक करने पर अभियुक्तगण से चोरी की भैंस बरामद हुई।

अभियुक्त/आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस की साज से झूठा फंसाया है वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बीस दिन विलम्ब से अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। उससे भैसं की झूठी बरामदगी दर्शायी गयी है। घटना का अन्य कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है। अभियुक्त दिनांक 23.09.2019 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया तथा कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी की भैस चोरी करके ले गये तथा उनके कब्जे से भैस बरामद की गयी है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

मैने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं को सुना, तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण पर भैस चोरी करने व बरामदगी का आरोप है। प्रार्थी/अभियुकत प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है और लगभग बीस दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना का अन्य कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं बताया गया है प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.09.2019 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है। मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदक की अपराध में संलिप्तता व उसके विरूद्ध अभियोजन साक्ष्य व अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत

रखते हुये वाद के गुणदोष पर कोई मत प्रकट किये जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में सम्बंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा इसी धनराशि के दो–दो सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं06 अलीगढ।